

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल

Email- mptownplan@mp.gov.in, Phone No. 0755-2427091-96

क्रमांक/ /स्था/नगानि/2025 भोपाल, दिनांक

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1/1/1/0002/2022/18-5 भोपाल दिनांक 08.05.2023 द्वारा प्राप्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति के आधार पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल को भेजे गये मांग पत्र अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा समूह-3 अंतर्गत आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम अनुसार उपलब्ध कराई गई प्रतीक्षा सूची के आधार पर दिनांक 01.09.2025 को संपन्न विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित सुश्री सृष्टि चौहान, पुत्री श्री मांगीलाल चौहान (SRISHTI CHAUHAN D/O SHRI MANGILAAL CHAUHAN) (अनारक्षित/निल/महिला) को उपयंत्री के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से वेतनमान लेवल 8 (32800-103600) पर मूल वेतन 32800/- में शासन के नियमानुसार स्वीकृत देय भत्तों पर, तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि एवं अधोलिखित शर्तों पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल से प्राप्त प्रतीक्षा सूची में अर्जित प्राप्ताकों के आधार पर आपसी वरिष्ठता क्रम में नियुक्त किया जाकर, कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, उज्जैन में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है:-

1. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-13/2019/3/ एक, भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये प्रावधानानुसार परिवीक्षा अवधि में वेतनमान का न्यूनतम वेतन 32800/- का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत, राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होंगे।
2. सेवा अवधि के दौरान उभयपक्ष की ओर से एक माह का नोटिस देकर सेवायें समाप्त की जा सकेगी, किन्तु कदाचरण या असंतोषजनक कार्य या दोनों ही कारणों से सेवायें बिना सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेगी, तथापि यदि वे एक माह की सूचना न दे तो, सूचना न देने के बदले उनको एक माह का वेतन व निर्धारित भत्ते जमा करना होगा।
3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-सी-3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार, "यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सशर्त जारी किया जा रहा है," यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।

4. बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के शैक्षणिक योग्यता बढ़ाये जाने संबंधी किसी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे एवं अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजेंगे।
5. यह नियुक्ति, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय (अराजपत्रित) सेवा भरती नियम, 2023 की अनुसूची तीन के कॉलम (6) में उल्लेखित विभागीय चयन समिति के द्वारा दिनांक 01.09.2025 को की गई अनुशंसा अनुसार उपयंत्री के पद हेतु कॉलम (5) में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता बिन्दु 2 से संबंधित डिप्लोमा के सत्यापन हेतु जारीकर्ता संस्था को प्रेषित किया जायेगा। यदि "एक वर्षीय डिप्लोमा" उक्त भरती नियम अनुरूप नहीं पाया जाता है तो, सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
6. यह नियुक्ति सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से सेवा के योग्य की शर्त पर की जाती है। अभ्यर्थी को संबंधित जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर, कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यदि स्वास्थ्य परीक्षण में अभ्यर्थी शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
7. संबंधित को कार्यभार ग्रहण करने के समय मूल रूप से शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी, जाति संबंधी प्रमाण पत्र अथवा शासकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। मूल अभिलेख मिलान में सही नहीं पाये जाने पर तत्काल ही बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जायेगी, तथा किये गये भुगतान की वसूली की जायेगी।
8. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9/3/2005/नियम/4, दिनांक 02.04.2005 द्वारा मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 में किये गये संशोधन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर दिनांक 01.01.2005 के बाद से नियुक्त शासकीय कर्मचारी "परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" के सदस्य होंगे।
9. आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत जाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु जारीकर्ता कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। सत्यापन उपरान्त प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है तो, सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
10. आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपने पदस्थापना स्थान पर कार्य ग्रहण करना होगा और ऐसा न करने पर यह आदेश अपने आप निरस्त माना जायेगा।
11. पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

12. किसी वाद विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश का निर्णय अंतिम होगा।
13. यह प्रमाणित किया जाता है, कि उपर्युक्त नियुक्ति के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है तथा रॉस्टर संधारित किया गया है।

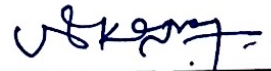
(श्रीकांत बनोठ)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

भोपाल, दिनांक 30/9/2025

पृ.क्रमांक/3302/नगानि/स्था/2025

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, शासकीय चिकित्सालय जिला उज्जैन।
5. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, उज्जैन।
6. कक्ष प्रभारी स्थापना, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल।
7. सुश्री सृष्टि चौहान, पुत्री श्री मांगीलाल चौहान निवासी- वार्ड 13, 31, इन्दौर रोड, नर्मदा रोड, बडवाह, बरवाहा, खरगौन (म0प्र0) 451115 मोबाईल नम्बर 8770480064 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. आई.टी कक्ष, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की ओर वेबसाईट पर अपलोड एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
9. व्यक्तिगत नस्ती/रॉस्टर लिपिक/गार्ड फाईल।


आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल

Email- mptownplan@mp.gov.in, Phone No. 0755-2427091-96

क्रमांक/ /स्था/नगानि/2025

भोपाल, दिनांक

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1/1/1/0002/2022/18-5 भोपाल दिनांक 08.05.2023 द्वारा प्राप्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति के आधार पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल को भेजे गये मांग पत्र अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा समूह-3 अंतर्गत आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम अनुसार उपलब्ध कराई गई प्रतीक्षा सूची के आधार पर दिनांक 01.09.2025 को संपन्न विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित श्री अभिषेक श्रीवास्तव, पुत्र श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव (ABHISHEK SHRIVASTAVA S/O SHRI VINOD KUMAR SHRIVASTAVA) (अनारक्षित/निल/ओपन) को उपयंत्री के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से वेतनमान लेवल 8 (32800-103600) पर मूल वेतन 32800/- में शासन के नियमानुसार स्वीकृत देय भत्तों पर, तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि एवं अधोलिखित शर्तों पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल से प्राप्त प्रतीक्षा सूची में अर्जित प्राप्ताकों के आधार पर आपसी वरिष्ठता क्रम में नियुक्त किया जाकर, कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, गुना में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है:-

1. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-13/2019/3/ एक, भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये प्रावधानुसार परिवीक्षा अवधि में वेतनमान का न्यूनतम वेतन 32800/- का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत, राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होंगे।
2. सेवा अवधि के दौरान उभयपक्ष की ओर से एक माह का नोटिस देकर सेवायें समाप्त की जा सकेगी, किन्तु कदाचरण या असंतोषजनक कार्य या दोनों ही कारणों से सेवायें बिना सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेगी, तथापि यदि वे एक माह की सूचना न दे तो, सूचना न देने के बदले उनको एक माह का वेतन व निर्धारित भत्ते जमा करना होगा।
3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-सी-3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार, "यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सशर्त जारी किया जा रहा है," यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।

4. बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के शैक्षणिक योग्यता बढ़ाये जाने संबंधी किसी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे एवं अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजेंगे।
5. यह नियुक्ति, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय (अराजपत्रित) सेवा भरती नियम, 2023 की अनुसूची तीन के कॉलम (6) में उल्लेखित विभागीय चयन समिति के द्वारा दिनांक 01.09.2025 को की गई अनुशंसा अनुसार उपयंत्री के पद हेतु कॉलम (5) में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता बिन्दु 2 से संबंधित डिप्लोमा के सत्यापन हेतु जारीकर्ता संस्था को प्रेषित किया जायेगा। यदि "एक वर्षीय डिप्लोमा" उक्त भरती नियम अनुरूप नहीं पाया जाता है तो, सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
6. यह नियुक्ति सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से सेवा के योग्य की शर्त पर की जाती है। अभ्यर्थी को संबंधित जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर, कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यदि स्वास्थ्य परीक्षण में अभ्यर्थी शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
7. संबंधित को कार्यभार ग्रहण करने के समय मूल रूप से शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी, जाति संबंधी प्रमाण पत्र अथवा शासकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा प्रदत्त अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। मूल अभिलेख मिलान में सही नहीं पाये जाने पर तत्काल ही बिना पूर्व सूचना के सेवाएँ समाप्त की जायेगी, तथा किये गये भुगतान की वसूली की जायेगी।
8. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9/3/2005/नियम/4, दिनांक 02.04.2005 द्वारा मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 में किये गये संशोधन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर दिनांक 01.01.2005 के बाद से नियुक्त शासकीय कर्मचारी "परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" के सदस्य होंगे।
9. आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत जाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु जारीकर्ता कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। सत्यापन उपरान्त प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है तो, सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
10. आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपने पदस्थापना स्थान पर कार्य ग्रहण करना होगा और ऐसा न करने पर यह आदेश अपने आप निरस्त माना जायेगा।
11. पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

12. किसी वाद विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश का निर्णय अंतिम होगा।
13. यह प्रमाणित किया जाता है, कि उपर्युक्त नियुक्ति के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है तथा रोस्टर संधारित किया गया है।

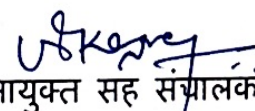
(श्रीकांत बनोठ)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

पृ.क्रमांक/ ³³⁰⁰ /नग्रानि/स्था/2025

भोपाल, दिनांक 30/9/2025

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, गुना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, शासकीय चिकित्सालय जिला गुना।
5. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, गुना।
6. कक्ष प्रभारी स्थापना, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल।
7. श्री अभिषेक श्रीवास्तव, पुत्र श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव निवासी- 251, पाठक वार्ड, एचएमटी शोरूम के पास, बीना स्टेशन, बीना सागर, बीना (म0प्र0) 470113 मोबाईल नम्बर 9009485902 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. आई.टी कक्ष, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की ओर वेबसाईट पर अपलोड एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
9. व्यक्तिगत नस्ती/रोस्टर लिपिक/गार्ड फाईल।


आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल

Email- mptownplan@mp.gov.in, Phone No. 0755-2427091-96

क्रमांक/

/स्था/नगानि/2025

भोपाल, दिनांक

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1/1/1/0002/2022/18-5 भोपाल दिनांक 08.05.2023 द्वारा प्राप्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति के आधार पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल को भेजे गये मांग पत्र अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा समूह-3 अंतर्गत आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम अनुसार उपलब्ध कराई गई प्रतीक्षा सूची के आधार पर दिनांक 01.09.2025 को संपन्न विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित सुश्री स्वेता सिंह, पुत्री श्री वीरेन्द्र सिंह (SWETA SINGH D/O SHRI VEERENDRA SINGH) (अनारक्षित/निल/महिला) को उपयंत्री के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से वेतनमान लेवल 8 (32800-103600) पर मूल वेतन 32800/- में शासन के नियमानुसार स्वीकृत देय भत्तों पर, तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि एवं अधोलिखित शर्तों पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल से प्राप्त प्रतीक्षा सूची में अर्जित प्राप्ताकों के आधार पर आपसी वरिष्ठता क्रम में नियुक्त किया जाकर, संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है:-

1. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-13/2019/3/ एक, भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये प्रावधानुसार परिवीक्षा अवधि में वेतनमान का न्यूनतम वेतन 32800/- का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत, राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होंगे।
2. सेवा अवधि के दौरान उभयपक्ष की ओर से एक माह का नोटिस देकर सेवायें समाप्त की जा सकेगी, किन्तु कदाचरण या असंतोषजनक कार्य या दोनों ही कारणों से सेवायें बिना सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेगी, तथापि यदि वे एक माह की सूचना न दे तो, सूचना न देने के बदले उनको एक माह का वेतन व निर्धारित भत्ते जमा करना होगा।
3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-सी-3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार, "यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सशर्त जारी किया जा रहा है," यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।

4. बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के शैक्षणिक योग्यता बढ़ाये जाने संबंधी किसी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे एवं अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजेंगे।
5. यह नियुक्ति, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय (अराजपत्रित) सेवा भरती नियम, 2023 की अनुसूची तीन के कॉलम (6) में उल्लेखित विभागीय चयन समिति के द्वारा दिनांक 01.09.2025 को की गई अनुशंसा अनुसार उपयंत्री के पद हेतु कॉलम (5) में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता बिन्दु 2 से संबंधित डिप्लोमा के सत्यापन हेतु जारीकर्ता संस्था को प्रेषित किया जायेगा। यदि "एक वर्षीय डिप्लोमा" उक्त भरती नियम अनुरूप नहीं पाया जाता है तो, सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
6. यह नियुक्ति सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से सेवा के योग्य की शर्त पर की जाती है। अभ्यर्थी को संबंधित जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर, कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यदि स्वास्थ्य परीक्षण में अभ्यर्थी शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
7. संबंधित को कार्यभार ग्रहण करने के समय मूल रूप से शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी, जाति संबंधी प्रमाण पत्र अथवा शासकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा प्रदत्त अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। मूल अभिलेख मिलान में सही नहीं पाये जाने पर तत्काल ही बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जायेगी, तथा किये गये भुगतान की वसूली की जायेगी।
8. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9/3/2005/नियम/4, दिनांक 02.04.2005 द्वारा मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 में किये गये संशोधन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर दिनांक 01.01.2005 के बाद से नियुक्त शासकीय कर्मचारी "परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" के सदस्य होंगे।
9. आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत जाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु जारीकर्ता कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। सत्यापन उपरान्त प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है तो, सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
10. आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपने पदस्थापना स्थान पर कार्य ग्रहण करना होगा और ऐसा न करने पर यह आदेश अपने आप निरस्त माना जायेगा।
11. पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

12. किसी वाद विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश का निर्णय अंतिम होगा।
13. यह प्रमाणित किया जाता है, कि उपर्युक्त नियुक्ति के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है तथा रोस्टर संधारित किया गया है।

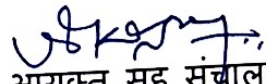
(श्रीकांत बनोठ)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

भोपाल, दिनांक 30/9/2025

पृ.क्रमांक/ 3306 /नग्रानि/स्था/2025

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, शासकीय जयप्रकाश चिकित्सालय 1250, तुलसी नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. कोषालय अधिकारी, विंध्याचल भवन, भोपाल।
5. कक्ष प्रभारी स्थापना, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. लेखा कक्ष, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सुश्री स्वेता सिंह, पुत्री श्री वीरेन्द्र सिंह निवासी- 564/17, बंसा गुरौलिहन टोला, हुजुर गोविन्दगढ़, रीवा (म0प्र0) 486550 मोबाईल नम्बर 7999899448 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. आई.टी कक्ष, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की ओर वेबसाईट पर अपलोड एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. व्यक्तिगत नस्ती/रोस्टर लिपिक/गार्ड फाईल।


आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल

Email- mptownplan@mp.gov.in, Phone No. 0755-2427091-96

क्रमांक/ /स्था/नग्रानि/2025

भोपाल, दिनांक

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1/1/1/0002/2022/18-5 भोपाल दिनांक 08.05.2023 द्वारा प्राप्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति के आधार पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल को भेजे गये मांग पत्र अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा समूह-3 अंतर्गत आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम अनुसार उपलब्ध कराई गई प्रतीक्षा सूची के आधार पर दिनांक 01.09.2025 को संपन्न विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित सुश्री मोनिका पगारे, पुत्री श्री केदार नाथ पगारे (MONIKA PAGARE D/O SHRI KEDAR NATH PAGARE) (अनारक्षित/निल/महिला) को उपयंत्री के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से वेतनमान लेवल 8 (32800-103600) पर मूल वेतन 32800/- में शासन के नियमानुसार स्वीकृत देय भत्तों पर, तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि एवं अधोलिखित शर्तों पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल से प्राप्त प्रतीक्षा सूची में अर्जित प्राप्ताकों के आधार पर आपसी वरिष्ठता क्रम में नियुक्त किया जाकर, कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, झाबुआ में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है:-

1. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-13/2019/3/ एक, भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये प्रावधानुसार परिवीक्षा अवधि में वेतनमान का न्यूनतम वेतन 32800/- का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत, राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होंगे।
2. सेवा अवधि के दौरान उभयपक्ष की ओर से एक माह का नोटिस देकर सेवायें समाप्त की जा सकेगी, किन्तु कदाचरण या असंतोषजनक कार्य या दोनों ही कारणों से सेवायें बिना सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेगी, तथापि यदि वे एक माह की सूचना न दे तो, सूचना न देने के बदले उनको एक माह का वेतन व निर्धारित भत्ते जमा करना होगा।
3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-सी-3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार, "यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सशर्त जारी किया जा रहा है," यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।

4. बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के शैक्षणिक योग्यता बढ़ाये जाने संबंधी किसी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे एवं अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजेंगे।
5. यह नियुक्ति, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय (अराजपत्रित) सेवा भरती नियम, 2023 की अनुसूची तीन के कॉलम (6) में उल्लेखित विभागीय चयन समिति के द्वारा दिनांक 01.09.2025 को की गई अनुशंसा अनुसार उपयंत्री के पद हेतु कॉलम (5) में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता बिन्दु 2 से संबंधित डिप्लोमा के सत्यापन हेतु जारीकर्ता संस्था को प्रेषित किया जायेगा। यदि "एक वर्षीय डिप्लोमा" उक्त भरती नियम अनुरूप नहीं पाया जाता है तो, सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
6. यह नियुक्ति सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से सेवा के योग्य की शर्त पर की जाती है। अभ्यर्थी को संबंधित जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर, कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यदि स्वास्थ्य परीक्षण में अभ्यर्थी शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
7. संबंधित को कार्यभार ग्रहण करने के समय मूल रूप से शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी, जाति संबंधी प्रमाण पत्र अथवा शासकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। मूल अभिलेख मिलान में सही नहीं पाये जाने पर तत्काल ही बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जायेगी, तथा किये गये भुगतान की वसूली की जायेगी।
8. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9/3/2005/नियम/4, दिनांक 02.04.2005 द्वारा मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 में किये गये संशोधन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर दिनांक 01.01.2005 के बाद से नियुक्त शासकीय कर्मचारी "परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" के सदस्य होंगे।
9. आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत जाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु जारीकर्ता कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। सत्यापन उपरान्त प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है तो, सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
10. आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपने पदस्थापना स्थान पर कार्य ग्रहण करना होगा और ऐसा न करने पर यह आदेश अपने आप निरस्त माना जायेगा।
11. पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

12. किसी वाद विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश का निर्णय अंतिम होगा।
13. यह प्रमाणित किया जाता है, कि उपर्युक्त नियुक्ति के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है तथा रोस्टर संधारित किया गया है।

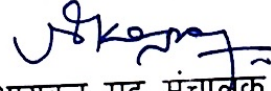
(श्रीकांत बनोठ)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

भोपाल, दिनांक 30/9/2025

पृ.क्रमांक/ 3306 /नगानि/स्था/2025

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, झाबुआ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, शासकीय चिकित्सालय जिला झाबुआ।
5. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, झाबुआ।
6. कक्ष प्रभारी स्थापना, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल।
7. सुश्री मोनिका पगारे, पुत्री श्री केदार नाथ पगारे निवासी- 07, न्यू ऑंकार कॉलोनी, वार्ड 07, टेलीफोन टॉवर के पास, धामनोद, धार (म.प्र.) 454552 मोबाईल नम्बर 7999737340 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. आई.टी कक्ष, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की ओर वेबसाईट पर अपलोड एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
9. व्यक्तिगत नस्ती/रोस्टर लिपिक/गार्ड फाईल।


आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल

Email- mptownplan@mp.gov.in, Phone No. 0755-2427091-96

क्रमांक/ /स्था/नगानि/2025

भोपाल, दिनांक

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1/1/1/0002/2022/18-5 भोपाल दिनांक 08.05.2023 द्वारा प्राप्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति के आधार पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल को भेजे गये मांग पत्र अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा समूह-3 अंतर्गत आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम अनुसार उपलब्ध कराई गई प्रतीक्षा सूची के आधार पर दिनांक 01.09.2025 को संपन्न विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित सुश्री उमली निगवाल, पुत्री श्री हरेसिंह निगवाल (UMLI NIGWAL D/O SHRI HARESINGH NIGWAL) (अनुसूचित जनजाति/निल/महिला) को उपयंत्री के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से वेतनमान लेवल 8 (32800-103600) पर मूल वेतन 32800/- में शासन के नियमानुसार स्वीकृत देय भत्तों पर, तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि एवं अधोलिखित शर्तों पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल से प्राप्त प्रतीक्षा सूची में अर्जित प्राप्ताकों के आधार पर आपसी वरिष्ठता क्रम में नियुक्त किया जाकर, कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, खण्डवा में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है:-

1. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-13/2019/3/ एक, भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये प्रावधानुसार परिवीक्षा अवधि में वेतनमान का न्यूनतम वेतन 32800/- का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत, राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होंगे।
2. सेवा अवधि के दौरान उभयपक्ष की ओर से एक माह का नोटिस देकर सेवायें समाप्त की जा सकेगी, किन्तु कदाचरण या असंतोषजनक कार्य या दोनों ही कारणों से सेवायें बिना सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेगी, तथापि यदि वे एक माह की सूचना न दे तो, सूचना न देने के बदले उनको एक माह का वेतन व निर्धारित भत्ते जमा करना होगा।
3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-सी-3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार, "यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सशर्त जारी किया जा रहा है," यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।

4. बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के शैक्षणिक योग्यता बढ़ाये जाने संबंधी किसी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे एवं अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजेंगे।
5. यह नियुक्ति, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय (अराजपत्रित) सेवा भरती नियम, 2023 की अनुसूची तीन के कॉलम (6) में उल्लेखित विभागीय चयन समिति के द्वारा दिनांक 01.09.2025 को की गई अनुशंसा अनुसार उपयंत्री के पद हेतु कॉलम (5) में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता बिन्दु 2 से संबंधित डिप्लोमा के सत्यापन हेतु जारीकर्ता संस्था को प्रेषित किया जायेगा। यदि "एक वर्षीय डिप्लोमा" उक्त भरती नियम अनुरूप नहीं पाया जाता है तो, सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
6. यह नियुक्ति सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से सेवा के योग्य की शर्त पर की जाती है। अभ्यर्थी को संबंधित जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर, कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यदि स्वास्थ्य परीक्षण में अभ्यर्थी शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
7. संबंधित को कार्यभार ग्रहण करने के समय मूल रूप से शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी, जाति संबंधी प्रमाण पत्र अथवा शासकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा प्रदत्त अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। मूल अभिलेख मिलान में सही नहीं पाये जाने पर तत्काल ही बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जायेगी, तथा किये गये भुगतान की वसूली की जायेगी।
8. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9/3/2005/नियम/4, दिनांक 02.04.2005 द्वारा मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 में किये गये संशोधन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर दिनांक 01.01.2005 के बाद से नियुक्त शासकीय कर्मचारी "परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" के सदस्य होंगे।
9. आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत जाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु जारीकर्ता कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। सत्यापन उपरान्त प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है तो, सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
10. आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपने पदस्थापना स्थान पर कार्य ग्रहण करना होगा और ऐसा न करने पर यह आदेश अपने आप निरस्त माना जायेगा।
11. पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

12. किसी वाद विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश का निर्णय अंतिम होगा।

13. यह प्रमाणित किया जाता है, कि उपर्युक्त नियुक्ति के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है तथा रोस्टर संधारित किया गया है।

(श्रीकांत बनोठ)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

भोपाल, दिनांक 30/9/2025

पृ.क्रमांक/ 3308 /नगानि/स्था/2025

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, खण्डवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, शासकीय चिकित्सालय जिला खण्डवा।
5. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, खण्डवा।
6. कक्ष प्रभारी स्थापना, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल।
7. सुश्री उमली निगवाल, पुत्री श्री हरेसिंह निगवाल निवासी- माचक्यापुरा, ग्राम चित्तावल, पोस्ट चित्तावल, तेह राजपुर, चित्तावल, बडवानी (म0प्र0) 451442 मोबाईल नम्बर 9630879061 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. आई.टी कक्ष, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की ओर वेबसाईट पर अपलोड एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
9. व्यक्तिगत नस्ती/रोस्टर लिपिक/गार्ड फाईल।


आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल

Email- mptownplan@mp.gov.in, Phone No. 0755-2427091-96

क्रमांक/

/स्था/नगानि/2025

भोपाल, दिनांक

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1/1/1/0002/2022/18-5 भोपाल दिनांक 08.05.2023 द्वारा प्राप्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति के आधार पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल को भेजे गये मांग पत्र अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा समूह-3 अंतर्गत आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम अनुसार उपलब्ध कराई गई प्रतीक्षा सूची के आधार पर दिनांक 01.09.2025 को संपन्न विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित श्री पवन कुमार चौधरी, पुत्र श्री प्रहलाद चौधरी (SHRI PAWAN KUMAR CHOUDHARY S/O SHRI PRAHLAD CHOUDHARY) (अनुसूचित जाति/निल/ओपन) को उपयंत्री के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से वेतनमान लेवल 8 (32800-103600) पर मूल वेतन 32800/- में शासन के नियमानुसार स्वीकृत देय भत्तों पर, तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि एवं अधोलिखित शर्तों पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल से प्राप्त प्रतीक्षा सूची में अर्जित प्राप्ताकों के आधार पर आपसी वरिष्ठता क्रम में नियुक्त किया जाकर, कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, राजगढ़ में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है:-

1. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-13/2019/3/ एक, भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये प्रावधानुसार परिवीक्षा अवधि में वेतनमान का न्यूनतम वेतन 32800/- का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत, राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होंगे।
2. सेवा अवधि के दौरान उभयपक्ष की ओर से एक माह का नोटिस देकर सेवायें समाप्त की जा सकेगी, किन्तु कदाचरण या असंतोषजनक कार्य या दोनों ही कारणों से सेवायें बिना सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेगी, तथापि यदि वे एक माह की सूचना न दे तो, सूचना न देने के बदले उनको एक माह का वेतन व निर्धारित भत्ते जमा करना होगा।
3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-सी-3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार, "यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सशर्त जारी किया जा रहा है," यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।

4. बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के शैक्षणिक योग्यता बढ़ाये जाने संबंधी किसी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे एवं अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजेंगे।
5. यह नियुक्ति, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय (अराजपत्रित) सेवा भरती नियम, 2023 की अनुसूची तीन के कॉलम (6) में उल्लेखित विभागीय चयन समिति के द्वारा दिनांक 01.09.2025 को की गई अनुशंसा अनुसार उपयंत्री के पद हेतु कॉलम (5) में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता बिन्दु 2 से संबंधित डिप्लोमा के सत्यापन हेतु जारीकर्ता संस्था को प्रेषित किया जायेगा। यदि "एक वर्षीय डिप्लोमा" उक्त भरती नियम अनुरूप नहीं पाया जाता है तो, सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
6. यह नियुक्ति सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से सेवा के योग्य की शर्त पर की जाती है। अभ्यर्थी को संबंधित जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर, कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यदि स्वास्थ्य परीक्षण में अभ्यर्थी शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
7. संबंधित को कार्यभार ग्रहण करने के समय मूल रूप से शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी, जाति संबंधी प्रमाण पत्र अथवा शासकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा प्रदत्त अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। मूल अभिलेख मिलान में सही नहीं पाये जाने पर तत्काल ही बिना पूर्व सूचना के सेवाएँ समाप्त की जायेगी, तथा किये गये भुगतान की वसूली की जायेगी।
8. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9/3/2005/नियम/4, दिनांक 02.04.2005 द्वारा मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 में किये गये संशोधन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर दिनांक 01.01.2005 के बाद से नियुक्त शासकीय कर्मचारी "परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" के सदस्य होंगे।
9. आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत जाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु जारीकर्ता कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। सत्यापन उपरान्त प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है तो, सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
10. आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपने पदस्थापना स्थान पर कार्य ग्रहण करना होगा और ऐसा न करने पर यह आदेश अपने आप निरस्त माना जायेगा।
11. पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

12. किसी वाद विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश का निर्णय अंतिम होगा।
13. यह प्रमाणित किया जाता है, कि उपर्युक्त नियुक्ति के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है तथा रोस्टर संधारित किया गया है।

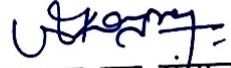
(श्रीकांत बनोठ)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

भोपाल, दिनांक 30/9/2025

पृ.क्रमांक/ 3316 /नगानि/स्था/2025

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, राजगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, शासकीय चिकित्सालय जिला राजगढ़।
5. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, राजगढ़।
6. कक्ष प्रभारी स्थापना, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल।
7. श्री पवन कुमार चौधरी, पुत्र श्री प्रहलाद चौधरी निवासी- म.न. 70, वार्ड 27, होली फेमिली कॉन्वेन्ट स्कूल के पास, सहोद्रा राय बाई वार्ड, खुरई, जिला सागर (म0प्र0) 470117 मोबाईल नम्बर 9406567675 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. आई.टी कक्ष, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की ओर वेबसाईट पर अपलोड एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
9. व्यक्तिगत नस्ती/रोस्टर लिपिक/गार्ड फाईल।


आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश

पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल

Email- mptownplan@mp.gov.in, Phone No. 0755-2427091-96

क्रमांक/

/स्था/नगानि/2025

भोपाल, दिनांक

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1/1/1/0002/2022/18-5 भोपाल दिनांक 08.05.2023 द्वारा प्राप्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति के आधार पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल को भेजे गये मांग पत्र अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा समूह-3 अंतर्गत आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम अनुसार उपलब्ध कराई गई प्रतीक्षा सूची के आधार पर दिनांक 01.09.2025 को संपन्न विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित श्री प्रणय मस्के, पुत्र श्री विजय मस्के (SHRI PRANAY MASKE S/O SHRI VIJAY MASKE) (अनुसूचित जाति/निल/ओपन) को उपयंत्री के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से वेतनमान लेवल 8 (32800-103600) पर मूल वेतन 32800/- में शासन के नियमानुसार स्वीकृत देय भत्तों पर, तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि एवं अधोलिखित शर्तों पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल से प्राप्त प्रतीक्षा सूची में अर्जित प्राप्ताकों के आधार पर आपसी वरिष्ठता क्रम में नियुक्त किया जाकर, कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, बालाघाट में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है:-

1. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-13/2019/3/ एक, भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये प्रावधानुसार परिवीक्षा अवधि में वेतनमान का न्यूनतम वेतन 32800/- का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत, राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होंगे।
2. सेवा अवधि के दौरान उभयपक्ष की ओर से एक माह का नोटिस देकर सेवायें समाप्त की जा सकेगी, किन्तु कदाचरण या असंतोषजनक कार्य या दोनों ही कारणों से सेवायें बिना सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेगी, तथापि यदि वे एक माह की सूचना न दे तो, सूचना न देने के बदले उनको एक माह का वेतन व निर्धारित भत्ते जमा करना होगा।
3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-सी-3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार, "यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सशर्त जारी किया जा रहा है," यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।

4. बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के शैक्षणिक योग्यता बढ़ाये जाने संबंधी किसी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे एवं अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजेंगे।
5. यह नियुक्ति, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय (अराजपत्रित) सेवा भरती नियम, 2023 की अनुसूची तीन के कॉलम (6) में उल्लेखित विभागीय चयन समिति के द्वारा दिनांक 01.09.2025 को की गई अनुशंसा अनुसार उपयंत्री के पद हेतु कॉलम (5) में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता बिन्दु 2 से संबंधित डिप्लोमा के सत्यापन हेतु जारीकर्ता संस्था को प्रेषित किया जायेगा। यदि "एक वर्षीय डिप्लोमा" उक्त भरती नियम के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो, सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
6. यह नियुक्ति सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से सेवा के योग्य की शर्त पर की जाती है। अभ्यर्थी को संबंधित जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर, कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यदि स्वास्थ्य परीक्षण में अभ्यर्थी शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
7. संबंधित को कार्यभार ग्रहण करने के समय मूल रूप से शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी, जाति संबंधी प्रमाण पत्र अथवा शासकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा प्रदत्त अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। मूल अभिलेख मिलान में सही नहीं पाये जाने पर तत्काल ही बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जायेगी, तथा किये गये भुगतान की वसूली की जायेगी।
8. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9/3/2005/नियम/4, दिनांक 02.04.2005 द्वारा मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 में किये गये संशोधन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर दिनांक 01.01.2005 के बाद से नियुक्त शासकीय कर्मचारी "परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" के सदस्य होंगे।
9. आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत जाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु जारीकर्ता कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। सत्यापन उपरान्त प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है तो, सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
10. आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपने पदस्थापना स्थान पर कार्य ग्रहण करना होगा और ऐसा न करने पर यह आदेश अपने आप निरस्त माना जायेगा।
11. पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

12. किसी वाद विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश का निर्णय अंतिम होगा।
13. यह प्रमाणित किया जाता है, कि उपर्युक्त नियुक्ति के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है तथा रोस्टर संधारित किया गया है।

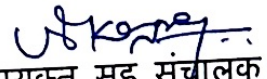
(श्रीकांत बनोठ)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

भोपाल, दिनांक 30/9/2025

पृ.क्रमांक/ 3312 /नगानि/स्था/2025

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, शासकीय चिकित्सालय जिला बालाघाट।
5. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, बालाघाट।
6. कक्ष प्रभारी स्थापना, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल।
7. श्री प्रणय मस्के, पुत्र श्री विजय मस्के निवासी- जयस्तम्भ चौक, खाडी वार्ड, पांडुर्णा छिंदवाडा (मप्र0) 480334 मोबाईल नम्बर 8770739773 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. आई.टी कक्ष, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की ओर वेबसाईट पर अपलोड एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
9. व्यक्तिगत नस्ती/रोस्टर लिपिक/गार्ड फाईल।


आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल

Email- mptownplan@mp.gov.in, Phone No. 0755-2427091-96

क्रमांक/

/स्था/नगानि/2025

भोपाल, दिनांक

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1/1/1/0002/2022/18-5 भोपाल दिनांक 08.05.2023 द्वारा प्राप्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति के आधार पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल को भेजे गये मांग पत्र अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा समूह-3 अंतर्गत आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम अनुसार उपलब्ध कराई गई प्रतीक्षा सूची के आधार पर दिनांक 01.09.2025 को संपन्न विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित श्री केहर सिंह राजपूत, पुत्र श्री प्रेमचंद्र राजपूत (SHRI KEHAR SINGH RAJPUT S/O SHRI PREMCHANDRA RAJPUT) (अन्य पिछड़ा वर्ग/निल/ओपन) को उपयंत्री के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से वेतनमान लेवल 8 (32800-103600) पर मूल वेतन 32800/- में शासन के नियमानुसार स्वीकृत देय भत्तों पर, तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि एवं अधोलिखित शर्तों पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल से प्राप्त प्रतीक्षा सूची में अर्जित प्राप्ताकों के आधार पर आपसी वरिष्ठता क्रम में नियुक्त किया जाकर, कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, मुरैना में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है:-

1. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-13/2019/3/ एक, भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये प्रावधानुसार परिवीक्षा अवधि में वेतनमान का न्यूनतम वेतन 32800/- का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत, राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होंगे।
2. सेवा अवधि के दौरान उभयपक्ष की ओर से एक माह का नोटिस देकर सेवायें समाप्त की जा सकेगी, किन्तु कदाचरण या असंतोषजनक कार्य या दोनों ही कारणों से सेवायें बिना सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेगी, तथापि यदि वे एक माह की सूचना न दे तो, सूचना न देने के बदले उनको एक माह का वेतन व निर्धारित भत्ते जमा करना होगा।
3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-सी-3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार, "यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सशर्त जारी किया जा रहा है," यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।

12. किसी वाद विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश का निर्णय अंतिम होगा।
13. यह प्रमाणित किया जाता है, कि उपर्युक्त नियुक्ति के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है तथा रोस्टर संधारित किया गया है।

(श्रीकांत बनोठ)

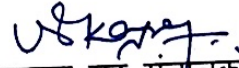
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

भोपाल, दिनांक 30/9/2025

पृ.क्रमांक/ 3314 /नगानि/स्था/2025

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, शासकीय चिकित्सालय जिला मुरैना।
5. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, मुरैना।
6. कक्ष प्रभारी स्थापना, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल।
7. श्री केहर सिंह राजपूत, पुत्र श्री प्रेमचंद्र राजपूत निवासी- 64, एमपीईबी कॉलोनी के पीछे, वार्ड 22, कुंवरपुरा रोड, टीकमगढ़ (म0प्र0) 472001 मोबाईल नम्बर 9713538281 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. आई.टी कक्ष, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की ओर वेबसाईट पर अपलोड एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
9. व्यक्तिगत नस्ती/रोस्टर लिपिक/गार्ड फाईल।


आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल

Email- mptownplan@mp.gov.in, Phone No. 0755-2427091-96

क्रमांक/

/स्था/नगानि/2025

भोपाल, दिनांक

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1/1/1/0002/2022/18-5 भोपाल दिनांक 08.05.2023 द्वारा प्राप्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति के आधार पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल को भेजे गये मांग पत्र अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा समूह-3 अंतर्गत आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम अनुसार उपलब्ध कराई गई प्रतीक्षा सूची के आधार पर दिनांक 01.09.2025 को संपन्न विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित श्री मनीष पटेल, पुत्र श्री ओम प्रकाश पटेल (SHRI MANISH PATEL S/O SHRI OM PRAKASH PATEL) (अन्य पिछड़ा वर्ग/निल/ओपन) को उपयंत्री के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से वेतनमान लेवल 8 (32800-103600) पर मूल वेतन 32800/- में शासन के नियमानुसार स्वीकृत देय भत्तों पर, तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि एवं अधोलिखित शर्तों पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल से प्राप्त प्रतीक्षा सूची में अर्जित प्राप्ताकों के आधार पर आपसी वरिष्ठता क्रम में नियुक्त किया जाकर, कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, टीकमगढ़ में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है:-

1. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-13/2019/3/ एक, भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये प्रावधानुसार परिवीक्षा अवधि में वेतनमान का न्यूनतम वेतन 32800/- का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत, राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होंगे।
2. सेवा अवधि के दौरान उभयपक्ष की ओर से एक माह का नोटिस देकर सेवायें समाप्त की जा सकेगी, किन्तु कदाचरण या असंतोषजनक कार्य या दोनों ही कारणों से सेवायें बिना सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेगी, तथापि यदि वे एक माह की सूचना न दे तो, सूचना न देने के बदले उनको एक माह का वेतन व निर्धारित भत्ते जमा करना होगा।
3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-सी-3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार, "यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सशर्त जारी किया जा रहा है," यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।

4. बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के शैक्षणिक योग्यता बढ़ाये जाने संबंधी किसी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे एवं अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजेंगे।
5. यह नियुक्ति, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय (अराजपत्रित) सेवा भरती नियम, 2023 की अनुसूची तीन के कॉलम (6) में उल्लेखित विभागीय चयन समिति के द्वारा दिनांक 01.09.2025 को की गई अनुशंसा अनुसार उपयंत्री के पद हेतु कॉलम (5) में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता बिन्दु 2 से संबंधित डिप्लोमा के सत्यापन हेतु जारीकर्ता संस्था को प्रेषित किया जायेगा। यदि "एक वर्षीय डिप्लोमा" उक्त भरती नियम अनुरूप नहीं पाया जाता है तो, सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
6. यह नियुक्ति सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से सेवा के योग्य की शर्त पर की जाती है। अभ्यर्थी को संबंधित जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर, कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यदि स्वास्थ्य परीक्षण में अभ्यर्थी शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
7. संबंधित को कार्यभार ग्रहण करने के समय मूल रूप से शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी, जाति संबंधी प्रमाण पत्र अथवा शासकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा प्रदत्त अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। मूल अभिलेख मिलान में सही नहीं पाये जाने पर तत्काल ही बिना पूर्व सूचना के सेवाएँ समाप्त की जायेगी, तथा किये गये भुगतान की वसूली की जायेगी।
8. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9/3/2005/नियम/4, दिनांक 02.04.2005 द्वारा मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 में किये गये संशोधन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर दिनांक 01.01.2005 के बाद से नियुक्त शासकीय कर्मचारी "परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" के सदस्य होंगे।
9. आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत जाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु जारीकर्ता कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। सत्यापन उपरान्त प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है तो, सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
10. आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपने पदस्थापना स्थान पर कार्य ग्रहण करना होगा और ऐसा न करने पर यह आदेश अपने आप निरस्त माना जायेगा।
11. पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

12. किसी वाद विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश का निर्णय अंतिम होगा।
13. यह प्रमाणित किया जाता है, कि उपर्युक्त नियुक्ति के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है तथा रोस्टर संधारित किया गया है।

(श्रीकांत बनोठ)

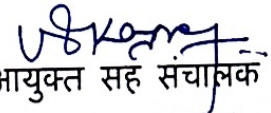
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

भोपाल, दिनांक 30/9/25

पृ.क्रमांक/3318/नग्रानि/स्था/2025

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, शासकीय चिकित्सालय जिला टीकमगढ़।
5. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, टीकमगढ़।
6. कक्ष प्रभारी स्थापना, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल।
7. श्री मनीष पटेल, पुत्र श्री ओम प्रकाश पटेल, निवासी- मकान न. 208, पटेल मोहल्ला, गांव बिलथारी, पोस्ट बिलथारी, नरसिंहपुर (म.प्र.) 487334 मोबाईल नम्बर 8878688337 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. आई.टी कक्ष, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की ओर वेबसाईट पर अपलोड एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
9. व्यक्तिगत नस्ती/रोस्टर लिपिक/गार्ड फाईल।


आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल

Email- mptownplan@mp.gov.in, Phone No. 0755-2427091-96

क्रमांक/ /स्था/नगानि/2025

भोपाल, दिनांक

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1/1/1/0002/2022/18-5 भोपाल दिनांक 08.05.2023 द्वारा प्राप्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति के आधार पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल को भेजे गये मांग पत्र अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा समूह-3 अंतर्गत आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम अनुसार उपलब्ध कराई गई प्रतीक्षा सूची के आधार पर दिनांक 01.09.2025 को संपन्न विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित श्री विकास कुमार कुशवाहा, पुत्र श्री अमरनाथ कुशवाहा (SHRI VIKAS KUMAR KUSHWAHA S/O SHRI AMARNATH KUSHWAHA) (अन्य पिछड़ा वर्ग/निल/ओपन) को उपयंत्री के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से वेतनमान लेवल 8 (32800-103600) पर मूल वेतन 32800/- में शासन के नियमानुसार स्वीकृत देय भत्तों पर, तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि एवं अधोलिखित शर्तों पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल से प्राप्त प्रतीक्षा सूची में अर्जित प्राप्ताकों के आधार पर आपसी वरिष्ठता क्रम में नियुक्त किया जाकर, कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, शहडोल में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है:-

1. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-13/2019/3/ एक, भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये प्रावधानुसार परिवीक्षा अवधि में वेतनमान का न्यूनतम वेतन 32800/- का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत, राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होंगे।
2. सेवा अवधि के दौरान उभयपक्ष की ओर से एक माह का नोटिस देकर सेवायें समाप्त की जा सकेगी, किन्तु कदाचरण या असंतोषजनक कार्य या दोनों ही कारणों से सेवायें बिना सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेगी, तथापि यदि वे एक माह की सूचना न दे तो, सूचना न देने के बदले उनको एक माह का वेतन व निर्धारित भत्ते जमा करना होगा।
3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-सी-3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार, "यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सशर्त जारी किया जा रहा है," यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।

4. बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के शैक्षणिक योग्यता बढ़ाये जाने संबंधी किसी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे एवं अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजेंगे।
5. यह नियुक्ति, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय (अराजपत्रित) सेवा भरती नियम, 2023 की अनुसूची तीन के कॉलम (6) में उल्लेखित विभागीय चयन समिति के द्वारा दिनांक 01.09.2025 को की गई अनुशंसा अनुसार उपयंत्री के पद हेतु कॉलम (5) में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता बिन्दु 2 से संबंधित डिप्लोमा के सत्यापन हेतु जारीकर्ता संस्था को प्रेषित किया जायेगा। यदि "एक वर्षीय डिप्लोमा" उक्त भरती नियम अनुरूप नहीं पाया जाता है तो, सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
6. यह नियुक्ति सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से सेवा के योग्य की शर्त पर की जाती है। अभ्यर्थी को संबंधित जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर, कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यदि स्वास्थ्य परीक्षण में अभ्यर्थी शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
7. संबंधित को कार्यभार ग्रहण करने के समय मूल रूप से शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी, जाति संबंधी प्रमाण पत्र अथवा शासकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा प्रदत्त अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। मूल अभिलेख मिलान में सही नहीं पाये जाने पर तत्काल ही बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जायेगी, तथा किये गये भुगतान की वसूली की जायेगी।
8. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9/3/2005/नियम/4, दिनांक 02.04.2005 द्वारा मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 में किये गये संशोधन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर दिनांक 01.01.2005 के बाद से नियुक्त शासकीय कर्मचारी "परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" के सदस्य होंगे।
9. आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत जाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु जारीकर्ता कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। सत्यापन उपरान्त प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है तो, सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
10. आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपने पदस्थापना स्थान पर कार्य ग्रहण करना होगा और ऐसा न करने पर यह आदेश अपने आप निरस्त माना जायेगा।
11. पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

12. किसी वाद विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश का निर्णय अंतिम होगा।

13. यह प्रमाणित किया जाता है, कि उपर्युक्त नियुक्ति के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है तथा रोस्टर संधारित किया गया है।

(श्रीकांत बनोठ)

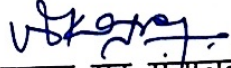
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

भोपाल, दिनांक 30/9/2025

पृ.क्रमांक/ 3316 /नगानि/स्था/2025

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, शहडोल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, शासकीय चिकित्सालय जिला शहडोल।
5. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, शहडोल।
6. कक्ष प्रभारी स्थापना, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल।
7. श्री विकास कुमार कुशवाहा, पुत्र श्री अमरनाथ कुशवाहा, निवासी- मकान न. 394, वार्ड 45, गोविंदगढ़ रोड, फॉरेस्ट बेरियर के पास, हुजुर, रीवा (मओप्र0) 486001 मोबाईल नम्बर 8602198726 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. आई.टी कक्ष, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की ओर वेबसाईट पर अपलोड एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. व्यक्तिगत नस्ती/रोस्टर लिपिक/गार्ड फाईल।


आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल

Email- mptownplan@mp.gov.in, Phone No. 0755-2427091-96

क्रमांक/ /स्था/नगानि/2025

भोपाल, दिनांक

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1/1/1/0002/2022/18-5 भोपाल दिनांक 08.05.2023 द्वारा प्राप्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति के आधार पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल को भेजे गये मांग पत्र अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा समूह-3 अंतर्गत आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम अनुसार उपलब्ध कराई गई प्रतीक्षा सूची के आधार पर दिनांक 01.09.2025 को संपन्न विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित सुश्री सृष्टि विश्वकर्मा, पुत्री श्री राजकुमार विश्वकर्मा (SHRISHTI VISHWAKARMA D/O SHRI RAJKUMAR VISHWAKARMA) (अन्य पिछड़ा वर्ग/निल/महिला) को उपयंत्री के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से वेतनमान लेवल 8 (32800-103600) पर मूल वेतन 32800/- में शासन के नियमानुसार स्वीकृत देय भत्तों पर, तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि एवं अधोलिखित शर्तों पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल से प्राप्त प्रतीक्षा सूची में अर्जित प्राप्ताकों के आधार पर आपसी वरिष्ठता क्रम में नियुक्त किया जाकर, कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, सीहोर में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है:-

1. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-13/2019/3/ एक, भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये प्रावधानुसार परिवीक्षा अवधि में वेतनमान का न्यूनतम वेतन 32800/- का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत, राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होंगे।
2. सेवा अवधि के दौरान उभयपक्ष की ओर से एक माह का नोटिस देकर सेवायें समाप्त की जा सकेगी, किन्तु कदाचरण या असंतोषजनक कार्य या दोनों ही कारणों से सेवायें बिना सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेगी, तथापि यदि वे एक माह की सूचना न दे तो, सूचना न देने के बदले उनको एक माह का वेतन व निर्धारित भत्ते जमा करना होगा।
3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-सी-3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार, "यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सशर्त जारी किया जा रहा है," यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।

4. बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के शैक्षणिक योग्यता बढ़ाये जाने संबंधी किसी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे एवं अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजेंगे।
5. यह नियुक्ति, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय (अराजपत्रित) सेवा भरती नियम, 2023 की अनुसूची तीन के कॉलम (6) में उल्लेखित विभागीय चयन समिति के द्वारा दिनांक 01.09.2025 को की गई अनुशंसा अनुसार उपयंत्री के पद हेतु कॉलम (5) में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता बिन्दु 2 से संबंधित डिप्लोमा के सत्यापन हेतु जारीकर्ता संस्था को प्रेषित किया जायेगा। यदि "एक वर्षीय डिप्लोमा" उक्त भरती नियम के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो, सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
6. यह नियुक्ति सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से सेवा के योग्य की शर्त पर की जाती है। अभ्यर्थी को संबंधित जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर, कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यदि स्वास्थ्य परीक्षण में अभ्यर्थी शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
7. संबंधित को कार्यभार ग्रहण करने के समय मूल रूप से शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी, जाति संबंधी प्रमाण पत्र अथवा शासकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। मूल अभिलेख मिलान में सही नहीं पाये जाने पर तत्काल ही बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जायेगी, तथा किये गये भुगतान की वसूली की जायेगी।
8. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9/3/2005/नियम/4, दिनांक 02.04.2005 द्वारा मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 में किये गये संशोधन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर दिनांक 01.01.2005 के बाद से नियुक्त शासकीय कर्मचारी "परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" के सदस्य होंगे।
9. आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत जाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु जारीकर्ता कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। सत्यापन उपरान्त प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है तो, सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
10. आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपने पदस्थापना स्थान पर कार्य ग्रहण करना होगा और ऐसा न करने पर यह आदेश अपने आप निरस्त माना जायेगा।
11. पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

12. किसी वाद विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश का निर्णय अंतिम होगा।
13. यह प्रमाणित किया जाता है, कि उपर्युक्त नियुक्ति के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है तथा रोस्टर संधारित किया गया है।

(श्रीकांत बनोठ)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

भोपाल, दिनांक 30/9/25

पृ.क्रमांक/3320/नगानि/स्था/2025

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, शासकीय चिकित्सालय जिला सीहोर।
5. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, सीहोर।
6. कक्ष प्रभारी स्थापना, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल।
7. सुश्री सृष्टि विश्वकर्मा, पुत्री श्री राजकुमार विश्वकर्मा, निवासी- 10/C, मंगल नगर, रामकृष्ण परमहंस वार्ड, मुरवारा, कटनी सीमेंट फेक्टरी, जिला कटनी (म0प्र0) 483504 मोबाईल नम्बर 8827865243 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. आई.टी कक्ष, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की ओर वेबसाइट पर अपलोड एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
9. व्यक्तिगत नस्ती/रोस्टर लिपिक/गार्ड फाईल।

Utkarsh
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल

Email- mptownplan@mp.gov.in, Phone No. 0755-2427091-96

क्रमांक/

/स्था/नगानि/2025

भोपाल, दिनांक

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1/1/1/0002/2022/18-5 भोपाल दिनांक 08.05.2023 द्वारा प्राप्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति के आधार पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल को भेजे गये मांग पत्र अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा समूह-3 अंतर्गत आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम अनुसार उपलब्ध कराई गई प्रतीक्षा सूची के आधार पर दिनांक 01.09.2025 को संपन्न विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित सुश्री रश्मि सिंह, पुत्री श्री शिवेन्द्र सिंह (RASHMI SINGH D/O SHRI SHIVENDRA SINGH) (ई.डब्ल्यू.एस./निल/महिला) को उपयंत्री के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से वेतनमान लेवल 8 (32800-103600) पर मूल वेतन 32800/- में शासन के नियमानुसार स्वीकृत देय भत्तों पर, तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि एवं अधोलिखित शर्तों पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल से प्राप्त प्रतीक्षा सूची में अर्जित प्राप्ताकों के आधार पर आपसी वरिष्ठता क्रम में नियुक्त किया जाकर, कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, सतना में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है:-

1. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-13/2019/3/ एक, भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये प्रावधानुसार परिवीक्षा अवधि में वेतनमान का न्यूनतम वेतन 32800/- का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत, राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होंगे।
2. सेवा अवधि के दौरान उभयपक्ष की ओर से एक माह का नोटिस देकर सेवायें समाप्त की जा सकेगी, किन्तु कदाचरण या असंतोषजनक कार्य या दोनों ही कारणों से सेवायें बिना सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेगी, तथापि यदि वे एक माह की सूचना न दे तो, सूचना न देने के बदले उनको एक माह का वेतन व निर्धारित भत्ते जमा करना होगा।
3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-सी-3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार, "यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सशर्त जारी किया जा रहा है," यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।

4. बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के शैक्षणिक योग्यता बढ़ाये जाने संबंधी किसी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे एवं अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजेंगे।
5. यह नियुक्ति, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय (अराजपत्रित) सेवा भरती नियम, 2023 की अनुसूची तीन के कॉलम (6) में उल्लेखित विभागीय चयन समिति के द्वारा दिनांक 01.09.2025 को की गई अनुशंसा अनुसार उपयंत्री के पद हेतु कॉलम (5) में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता बिन्दु 2 से संबंधित डिप्लोमा के सत्यापन हेतु जारीकर्ता संस्था को प्रेषित किया जायेगा। यदि "एक वर्षीय डिप्लोमा" उक्त भरती नियम के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो, सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
6. यह नियुक्ति सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से सेवा के योग्य की शर्त पर की जाती है। अभ्यर्थी को संबंधित जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर, कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यदि स्वास्थ्य परीक्षण में अभ्यर्थी शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
7. संबंधित को कार्यभार ग्रहण करने के समय मूल रूप से शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी, जाति संबंधी प्रमाण पत्र अथवा शासकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। मूल अभिलेख मिलान में सही नहीं पाये जाने पर तत्काल ही बिना पूर्व सूचना के सेवाएँ समाप्त की जायेगी, तथा किये गये भुगतान की वसूली की जायेगी।
8. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9/3/2005/नियम/4, दिनांक 02.04.2005 द्वारा मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 में किये गये संशोधन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर दिनांक 01.01.2005 के बाद से नियुक्त शासकीय कर्मचारी "परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" के सदस्य होंगे।
9. आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत जाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु जारीकर्ता कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। सत्यापन उपरान्त प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है तो, सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
10. आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपने पदस्थापना स्थान पर कार्य ग्रहण करना होगा और ऐसा न करने पर यह आदेश अपने आप निरस्त माना जायेगा।
11. पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

2. किसी वाद विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश का निर्णय अंतिम होगा।
13. यह प्रमाणित किया जाता है, कि उपर्युक्त नियुक्ति के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है तथा रोस्टर संधारित किया गया है।

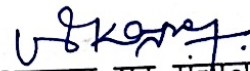
(श्रीकांत बनोठ)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

भोपाल, दिनांक 30/9/25

पृ.क्रमांक/3322/नग्रानि/स्था/2025

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, सतना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, शासकीय चिकित्सालय जिला सतना।
5. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, सतना।
6. कक्ष प्रभारी स्थापना, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल।
7. सुश्री रश्मि सिंह, पुत्री श्री शिवेन्द्र सिंह, निवासी- EWS 3/23/407, 408, नेहरू नगर, हुजुर, रीवा (म0प्र0) 486001 मोबाईल नम्बर 7987692722 को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. आई.टी कक्ष, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की ओर वेबसाईट पर अपलोड एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. व्यक्तिगत नस्ती/रोस्टर लिपिक/गार्ड फाईल।


आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल